(8)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–455/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00425)

1. छीतरमल दत्तक पुत्र मंगलाराम, जाति जाट, निवासी भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मा देवी पुत्री सेडूराम, धर्मपत्नी श्री लालाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–3/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00003)

1. छीतरमल दत्तक पुत्र मंगलाराम, जाति जाट, निवासी भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मा देवी पुत्री सेडूराम, धर्मपत्नी श्री लालाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम माचवा, तहसील व जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 01.12.2017 (प्रकरण संख्या 11/2013, 12/13) एवं नामान्तरकरण संख्या 1385 ग्राम भांकरोटा पर पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है अपीलान्ट ने तहसीलदार सांगानेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2013 को प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि गत खसरा नम्बर 850, 816, 820, 821, 829, 846, 849, 801, 802, 803, 804, 806, 808, 809, 812, 813, 815, 818, 807, 805, 814, 819, 817, 811 कुल किता 24 कुल रकबा 64 बीघा 9 बिस्वा में 1/12 जिसे हाल खसरा नम्बर 1753 से 1757 तक, 1763, 1764, 1766 से 1773, 1815 से 1820, 1825 से 1829 कुल किता 25 कुल रकबा 5.9 हैक्टयर राजस्व ग्राम भांकरोटा कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जो हाल राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट की माता श्रीमती गौरा धर्मपत्नी मंगला का हिस्सा 1/12 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका स्वर्गवास दिनांक 15.07.2013 को हो चुका है जिसमें उसका एकमात्र वारिस मैं

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रजिस्टर्ड वसीयतनामा, गोदनामा व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम तस्दीक फरमाने के आदेश करें तथा तत्पश्चात् दिनांक 24.07.13 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मा देवी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि की उसकी माताजी गौरा देवी ने उसके हक में वसीयत निष्पादित कर दी है इसलिये वसीयत के आधार पर उसके नाम से नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें जिस पर तहसीलदार सांगानेर ने उक्त प्रार्थना पत्र धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज कर कार्यवाही करते हुऐ दिनांक 01.12.2017 को बिना किसी आधार के अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वाद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि स्थगन प्रार्थना पत्र, वसीयतनामा, गोदनामा तथा बल्दीयत के सम्बन्ध में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की अनदेखी करते हुऐ न्यायिक गरिमा को ताक में रखकर लक्ष्मा देवी को मृतक गौरा की उत्तराधिकारी मानकर उसके हक में नामान्तरकण की कार्य वाही करने हे आदेश कर दिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है ।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत थी, भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी सांगानेर के न्यायालय में विचाराधीन था, ऐसी स्थिति में उनका यह विधिक दायत्व बनता है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमित वाद के निस्तारण तक स्थगित रखते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट मृतक मंगला व गौरा देवी का दत्तक पुत्र है तथा तहसीलदार के समक्ष अपीलान्ट द्वारा गोदनामें की प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी तथा इसके अलावा राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविन्ग लाईसेन्स, बिजली के बिल, बैंक अकाउन्ट आदि सब दस्तावेजातों में अपीलान्ट के पिता का नाम मंगलाराम अंकित है तथा उक्त समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया इसके बावजूद तहसीलदार सांगानेर ने उक्त समस्त दस्तावेजों की अनदेख कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाजायज लाभ पहूँचाने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के दत्तक पिता मंगलाराम की सम्पत्ति थी तथा उनके देहान्त के पश्चात् अपीलान्ट नाबालिंग होने के कारण सम्पूर्ण सम्पत्ति उसकी दत्तक माता गौरादेवी के नाम अंकित हो गई तथा गौरादेवी ने पश्चात्वर्ति वर्षो में सेडूराम से पुर्नविवाह कर लिया तथा सेडूराम व गौरा देवी की जानिब से लक्ष्मा देवी का जन्म हुआ जो मंगलाराम की पुत्री नही है तथा उसकी भूमि विरासत में उसे कतई प्राप्त नही हो सकती है क्योंकि वो मंगलाराम की पुत्री नही है तथा उसके परिवार से उसका कोई वास्ता नही है इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी

ध्यान नही दिया कि लक्ष्मादेवी तथाकथित वसीयत दिनांक 29.03.2013 के आधार पर अपना क्लेम प्रस्तुत कर रही है, प्रथम तो गौरादेवी की वादग्रस्त भूमि स्व. अर्जित सम्पत्ति नही थी इसलिये उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नही था, द्वितीय गौरा देवी सन् 2012 से ही बीमार रही है, उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी वह उस समय उनसाउण्ड माईण्ड थी तथा अपीलान्ट के एक बार गांव से बाहर जाने का फायदा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उठाकर अपीलान्ट की पत्नी से यह कहकर की वो माताजी को अच्छे वैद को दिखा रही है इसिलये वो अपने साथ लेकर जा रही है, अपीलान्ट की पत्नी ने यह कहकर इस कार्यवाही के लिये सहमति दी कि वो सम्भवतया किसी वैद को ही दिखा रही होगी लेकिन बदनियतिपूर्वक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लक्ष्मा देवी ने गौरादेवी की सोचने समझने की क्षीण शक्ति होने फायदा उठाकर स्वयं के नाम वादग्रस्त भूमि की वसीयत बनवा ली जिससे कतई एक विधिक दस्तावेज नही कहा जा सकता तथा न ही उसके आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सकती है, वो भी उस स्थिति में जबकि तहसीलदार की पत्रावली में रजिस्टर्ड गोदनामा, बल्दीयत के सम्बन्ध मे अन्य दस्तावेजात अपीलान्ट छीतर के रिकार्ड पर मौजूद थे इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2013 एवं नामान्तरकरण संख्या 1385 पर पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता श्रीमती गौरा देवी पत्नी मंगला के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा रेस्पोडेन्ट अपने माता–पिता के एक अकेली सन्तान है, उसके कोई अन्य सगा भाई–बहिन नही है, रेस्पोडेन्ट की माता की सेवा रेस्पोडेन्ट ही करती थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माताजी गौरा देवी जीवन पर्यन्त रेस्पोडेन्ट के ही पास रही है तथा रेस्पोडेन्ट की माताजी उक्त वादग्रस्त आराजीयात की वसीयत रेस्पोडेन्ट के नाम से अपने जीवनकाल में ही कर दी थी, जो अंतिम वसीयत थी उसके अलावा गौरा देवी द्वारा कोई अन्य वसीयत नही लिखी गई है लेकिन गौरा देवी का स्वर्गवास के पश्चात् उक्त वादग्रस्त आराजी को हड़पने की नियत से अपीलान्ट ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त वादग्रस्त आराजी को अपने नाम करवाने के लिये अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण की गहराई से जॉच की जाकर एवं रिपोर्ट इत्यादि तलब कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2013 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर द्वारा दिनांक 27.09.2013 को रिकार्ड और मौके की यथास्थिति कायम रखने बाबत निर्णय पारित किया गया था जिसको दिनांक 16.06.2016 को कन्फर्म किया गया, उक्त आदेश के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें

विभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायाल उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी स्थगन आदेश की क्रियान्विति न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा आगामी आदेश तक रोक दिये जाने से स्थगन आदेश निष्प्रभावी हो गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की दिनांक को उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नही था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की खातेदार की प्राकृतिक वारिस पुत्री के नाम रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2017 पारित किया गया है जिसकी पालना में नामान्तरकरण नामान्तरकरण संख्या 1385 दिनांक 15.12.2017 स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की दोनों अपीलें सारहीन होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीले निरस्त फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.03.2013 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वसीयतकर्ता गौरादेवी ने वसीयत दिनांक 29.03.2013 को अपनी अंतिम वसीयत बताया गया है तथा वसीयत में यह भी अंकित है कि यदि पूर्व व बाद में उक्त वसीयत के अलावा अन्य कोई वसीयत पाई गई तो झूठी मानी जावेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न उक्त वसीयत के गवाह कैलाश चौधरी एवं गोपीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बयानादि में उक्त वसीयत साबित किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी की खातेदार गौरा देवी की प्राकृतिक सन्तान बताया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 29.03.2013 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित करने सम्बन्धि किसी प्रकार का कोई दस्तावेजात इत्यादि अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2013 एवं नामान्तरकरण संख्या 1385 पर पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 को अनुचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीलें खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.12.2017 एवं नामान्तरकरण संख्या 1385 वाके ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर पर पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।